न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति डॉ साधना शर्मा (RAS)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
85 / 2025	2025 / 214	11.06.2025	09.01.2026

उनवान प्रकरण

1. कमलेश देवी पत्नि महेन्द्र सिंह जाट
2. रोशन देवी पत्नि सुरेश कुमार जाट समस्त जाति जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील पावटा, राजस्थान । जिला कोटपूतली–बहरोड़, वादीगण

बनाम

1. कुन्दन पत्नि हरसहाय
2. ग्यारसी देवी पत्नि रामजीलाल समस्त माली निवासीयान कल्याणपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
3. जयराम पुत्र बींजाराम
4. सीमा जाट पत्नि राकेश जाट
5. हनुमान पुत्र बींजाराम समस्त जाट निवासीयान कल्याणपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान ।
7. श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड़ प्रतिवादीगण

वादीगण वकील श्री रामनिवास यादव
प्रतिवादी सं. 01, 02 के वकील श्री उपवन सैनी
प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 की एकपक्षीय कार्यवाही

<u>दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

1 वादीयागण की ओर से जरिये अधिवक्ता वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि आराजी खसरा नम्बर 178 / 0.31, 179 / 0.22, 180 / 0.27, 181 / 0.61 है० वाके मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का जोधपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी की भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 मुताबिक जमाबन्दी सहखातेदार काश्तकार काबिज है। वादी आराजी खसरा आराजी खसरा नम्बर 178 / 0.31, 179 / 0.22, 180 / 0.27, 181 / 0.61 है0 वाके मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का जोधपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान की भूमि में मुताबिक जमाबन्दी अपने हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 01 लगतायत 05 मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है, आज भी मौके पर काबिज–काश्त है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का वादीगण के हिस्से की आराजी से कभी कोई लेना–देना ताल्लुक वास्ता नही रहा है। वादी अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज–काश्त करता चला आ रहा है। आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड शामिल में होने की वजह से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 आये दिन डोल–डंडीर, कब्जा–काश्त, लगान आदि को लेकर वादी के हिस्से की आराजी के कब्जा–काश्त में मजाहमत पैदा करते है, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द–बुर्द करनें, आराजी में निर्माण कार्य करने, बिना विधिवत तकास्मा कराये आराजी को दीगर लोगों को बेचान करने की धमकी देते हैं तथा वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उतारु है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

2. जबकि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 का वादीगण के हिस्से की आराजी से कोई लेना-देना, तालुक अथवा वास्ता नही है, ना ही कभी रहा है तथा बिना विधिवत बँटवारा कराये प्रत्येक खातेदार का भूमि की प्रत्येक इंच पर समान अधिकार होता है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 संख्या 05 बिना विधिवत तकास्मा कराये उक्त आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करने, पेड़ वगैरह काटने, खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द-बुर्द करने आराजी मे निर्माण कार्य करने, वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने में कामयाब हो गये तो वादी को अजहद नुकसान होगा जो किसी भी सूरत में जर्रे नकद से कम्पनसैट नही किया जा सकेगा। वादी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। वादी को अनावश्यक मुकदमें बाजी में फंसना पड़ेगा जिससे वाद बहुलता को बढ़ावा मिलेगा।

3. वादी नें प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को कई मर्तबा कहा कि राज में चलकर आराजी का विधिवत तकास्मा करवा लो तथा अपना-अपना खाता जुदागाना करवा लो तथा वादी के हिस्से की आराजी के कब्जा-काश्त, उपयोग-उपभोग में मजाहमत पैदा ना करो, आराजी में पेड़ वगैरह ना काटो, आराजी में खड्डे वगैरह खोदकर आराजी को खुर्द-बुर्द मत करों, आराजी में निर्माण कार्य मत करो, आराजी को दीगर लोगों को बेचान मत करों। लेकिल प्रतिवादी संख्यां 01 लगायत 05 नही मान रहे है तथा गत सप्ताह से आराजी का विधिवत तकास्मा कराये बिना दीगर लोगों को बेचान करने, आराजी में निर्माण कार्य करने की धमकी दे रहे है तथा वादीगण को उसके हिस्से की आराजी में से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। समझाने से नही मानते हैं, साफ इन्कारी है। इसलिए माननीय न्यायालय में दावा पेश करना लाजिम आया। यही बिनाय दावा है। बिनाय दावा बिनाव मुखास्मत रोज इन्कारी प्रतिवादीगण से पैदा होती है अतः वाद अन्दर मियाद पेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के तहत नियत न्यायशुल्क पर वाद पेश है। रिहायश फरीकेन एवं वाका जायदाद माननीय न्यायालय के ' क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनने व तैय करने का अधिकार है।

4. वादी दावेदारान है कि एक किता डिक्री तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे की आराजी खसरा नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर नम्बर 178/0.31, 179/0.22, 180/0.27, 181/0.61 है0 वाके मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का जोधपुरा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान का मुताबिक जमाबन्दी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के मध्य एक्च्यूअल मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर रास्ते का निर्धारण करते हुए विधिवत तकास्मा किया जाकर आराजी खसरा नम्बरान की भूमि में बटा नम्बर डाला जाकर मुताबिक जमाबन्दी वादीगण को अपने हिस्से अनुसार तन्हा रुप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अलग से पासबुक जारी की जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबन्द किया जावे कि वादीगण के हिस्से में आयी आराजीयात की भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा-पक्का निर्माण कार्य नहीं करे भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करे वादीगण को हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा दिगर व्यक्ति को रहन-बेचान नहीं करे। सदा सदा के लिए ममनू व बाज रहे। या जो दादरसी न्यायहित में फरमाई जावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 से दिलवाया जावे।

5. दावा काबिले समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01, 02 मय अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

6. प्रतिवादी सं. 03 लगायत 05 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 06.11.2025 को वकील उभयपक्ष बहस के उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 19.12.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 05.01.2026 प्रतिवादी अधिवक्ता ने तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उज्रात प्रा0पत्र पेश किया, नकल वादी वकील को दिलायी गई, शामिल मिसल किया गया। वादी वकील ने उज्रात प्रा0पत्र का जवाब दिये बिना ही सीधी बहस हेतू निवेदन किया। वकुलाये फेरिकेन की उज्रात प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी वकील ने उज्रात प्रा0पत्र स्वीकार कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतू निवेदन किया। जिसके प्रत्युत्तर में वादी वकील ने अपनी बहस में बताया कि कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व बोर्ड के नियमानुसार सही तैयार की गई है, विधिवत बंटवारा किया गया है। इसलिए प्रतिवादी का उज्रात प्रा0पत्र खारिज किया जाकर तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। खातेदार प्रतिवादी सं. 05 फौत हो चुका है तथा इसके वारिसान को बंटवारा रिपोर्ट में उनका हिस्सा तय कर दिया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट में काउन्टर क्लेम की पालना की है, सभी खातेदारान का विभाजन विधिवत रूप से राजस्व बोर्ड के नियमानुसार सही किया है। इस प्रकार प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पेश उज्रात कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

6 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 178/0.31, 179/0.22, 180/0.27, 181/0.61 है0 वाके मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का जोधपुरा तहसील पावटा, तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	कमलेश देवी पत्नि महेन्द्र सिंह जाट हि. 1/3 रोशन देवी पत्नि सुरेश कुमार जाट हि. 1/3 सीमा जाट पत्नि राकेश जाट हि. 1/3 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	178/1 रकबा 0.1725 हैक्ट0 भूमि।
2	कुंदन पत्नि हरसहाय सैनी हि. 137/545 जाति माली राहिन (पूर्ण खाता) CBI पावटा ग्यारसी देवी पत्नि रामजीलाल सैनी हि. 208/345 जाति माली राहिन (पूर्ण खाता) CBI पावटा	181/1/0.3325, 179/1/0.20, 180/3/0.02, 178/1/0.1375 हैक्ट0 भूमि।
3	जयराम पुत्र बींजाराम हि0 1/2 जाति जाट हनुमान पुत्र बींजाराम हि. 1/2 जाति जाट समस्त सा. देह	180/1/0.24, 182/2/0.2775 हैक्ट0 भूमि।
4	कुंदन पत्नि हरसहाय सैनी हि. 28/141, ग्यारसी देवी पत्नि रामजीलाल सैनी हि. 85/282 समस्त जाति माली, कमलेश देवी पत्नि महेन्द्र सिंह जाट हि. 1/24, रोशन देवी पत्नि सुरेश कुमार जाट हि. 1/24, सीमा जाट पत्नि राकेश जाट हि. 1/24, जयराम पुत्र बींजाराम हि. 3/16, हनुमान पुत्र बींजाराम हि. 3/16 समस्त जाति जाट सा.देह	179/2/0.02, 180/2/0.01 हैक्ट0 भूमि।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड)

नोटः– तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में संलग्न मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी सं. 05 हनुमान पुत्र बींजाराम फौत हो चुका है। जिसके विधिक वारिसान चन्दो देवी, मुकेश, कृष्णा, बिरमा, राहुल, सुभाष को मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है। अतः तहसीलदार विधिक वारिसान की विधिक जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करावे।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

27/01/26 संशोधन नोट !– निर्णय भाग के पृष्ठ संख्या 03 में अंकित क्रम संख्या 01 में "ख.नं. 178/1 रकबा 0.1725 है० के स्थान पर 178/2 रकबा 0.1725 है०", क्रम सं. 02 में "दर्ज हि. 137/545 के स्थान पर 137/345" तथा क्रम संख्या 03 में "ख.नं. 184/2 के स्थान पर 181/2" दुरुस्त किया जाता है। पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
85/2025	2025/214	11.06.2025	09.01.2026

उनवान प्रकरण

1. कमलेश देवी पत्नि महेन्द्र सिंह जाट
2. रोशन देवी पत्नि सुरेश कुमार जाट समस्त जाति जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील पावटा, राजस्थान । जिला कोटपूतली–बहरोड़, वादीगण

बनाम

1. कुन्दन पत्नि हरसहाय
2. ग्यारसी देवी पत्नि रामजीलाल समस्त माली निवासीयान कल्याणपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
3. जयराम पुत्र बींजाराम
4. सीमा जाट पत्नि राकेश जाट
5. हनुमान पुत्र बींजाराम समस्त जाट निवासीयान कल्याणपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान ।
7. श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड़ प्रतिवादीगण

वादीगण वकील श्री रामनिवास यादव
प्रतिवादी सं. 01, 02 के वकील श्री उपवन सैनी
प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 की एकपक्षीय कार्यवाही

<u>दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 178/0.31, 179/0.22, 180/0.27, 181/0.61 है0 वाके मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का जोधपुरा तहसील पावटा, तहसील पावटा तहसील पावटा, जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	कमलेश देवी पत्नि महेन्द्र सिंह जाट हि. 1/3 रोशन देवी पत्नि सुरेश कुमार जाट हि. 1/3 सीमा जाट पत्नि राकेश जाट हि. 1/3 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	178/1 रकबा 0.1725 हैक्ट0 भूमि।
2	कुंदन पत्नि हरसहाय सैनी हि. 137/545 जाति माली राहिन (पूर्ण खाता) CBI पावटा ग्यारसी देवी पत्नि रामजीलाल सैनी हि. 208/345 जाति माली राहिन (पूर्ण खाता) CBI पावटा	181/1/0.3325, 179/1/0.20, 180/3/0.02, 178/1/0.1375 हैक्ट0 भूमि।
3	जयराम पुत्र बींजाराम हि0 1/2 जाति जाट हनुमान पुत्र बींजाराम हि. 1/2 जाति जाट समस्त सा. देह	180/1/0.24, 182/2/0.2775 हैक्ट0 भूमि।
4	कुंदन पत्नि हरसहाय सैनी हि. 28/141, ग्यारसी देवी पत्नि रामजीलाल सैनी हि. 85/282 समस्त जाति माली, कमलेश देवी पत्नि महेन्द्र सिंह जाट हि. 1/24, रोशन देवी पत्नि सुरेश कुमार जाट हि. 1/24, सीमा जाट पत्नि राकेश जाट हि. 1/24, जयराम पुत्र बींजाराम हि. 3/16, हनुमान पुत्र बींजाराम हि. 3/16 समस्त जाति जाट सा.देह	179/2/0.02, 180/2/0.01 हैक्ट0 भूमि।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

नोटः— तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में संलग्न मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी सं. 05 हनुमान पुत्र बींजाराम फौत हो चुका है। जिसके विधिक वारिसान चन्दो देवी, मुकेश, कृष्णा, बिरमा, राहुल, सुभाष को मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया है। अतः तहसीलदार विधिक वारिसान की विधिक जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करावे।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली—बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह — व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड़	

27/01/26 त्रुटिसंशोधन नोट :- डिक्री आदेश के क्रम संख्या 01 के वर्णित ख.नं. "178/1 रकबा 0.1745 है. के स्थान पर 178/2 रकबा 0.1745 है.", क्रम संख्या 02 में दर्ज हिस्सा "137/545 के स्थान पर 137/345" तथा क्रम संख्या 03 में वर्णित ख.नं. "184/2 के स्थान पर 181/2" दुरूस्त किया जाता है पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली—बहरोड़)